डिजिटिल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियिम, 2025 का प्रारूप

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित रखने के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से डिजिटिल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियिम, 2025 का मसौदा जारी किया है।

DPDP नियिम, 2025 प्रारूप के मुख्य बिंदु क्या हैं?

- **परिचय:** यह नियिमों का एक समूह है जो भारत की डिजिटिल अर्थव्यवस्था और नवाचार को बढ़ावा देते हुए नागरिकों के डिजिटिल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के क्रम में डिजिटिल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियिम (DPDP अधिनियिम), 2023 को कार्यान्वित करने पर केंद्रित हैं।
- **डेटा स्थानांतरण:** यह नियिम सरकार द्वारा अनुमोदित **कुछ व्यक्तिगत डेटा को भारत के बाहर स्थानांतरित** करने की अनुमति देते हैं।
- **नागरिकों को केंद्र में रखना:** इनमें **नागरिकों द्वारा डेटा समाप्त** करने की मांग करने, **डिजिटिल नामांकित व्यक्ति** नियुक्त करने एवं डेटा फिड्युसरीज़ द्वारा अपने डेटा को प्रबंधित करने के लिये उपयोगकर्त्ता-अनुकूल तंत्र रखने के अधिकार दिये गए हैं।
  - **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स कंपनियाँ और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म आदि** जैसी संस्थाएँ (जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा को एकत्रित और संसाधित करती हैं) डेटा फिड्युसरीज़ कहलाती हैं।
- **डेटा समाप्त करना:** डेटा प्रिंसिपल (यूज़र्स) के साथ अंतिम समन्वय या नियिमों की प्रभावी तिथि, जो भी **बाद में हो, से तीन वर्ष** तक डेटा प्रतिधारण की अनुमति दी गई है।
  - **डेटा फिड्युसरी को डेटा समाप्त करने से कम से कम 48 घंटे पहले** डेटा प्रिंसिपल को सूचित करना होगा।
- **डिजिटिल-फर्स्ट दृष्टिकोण**: इन नियिमों में **ऑनलाइन शिकायतों की सुविधा के साथ शिकायतों के तीव्र समाधान** के लिये सहमति तंत्र एवं शिकायत निवारण हेतु **"डिजिटिल डिज़ाइन"** वाले भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (DPBI) की भी स्थापना का प्रावधान है।
- **ग्रेडेड ज़िम्मेदारियाँ:** ग्रेडेड ज़िम्मेदारियों से **स्टार्टअप्स और MSME को कम अनुपालन बोझ** की सुविधा मिलती है, जबकि **महत्वपूर्ण डेटा फिड्युशरीज़ के** दायित्व अधिक होते हैं।
  - **फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स आदि** जैसे बड़ी संख्या में उपयोगकर्त्ताओं वाले डिजिटिल प्लेटफॉर्म प्रमुख डेटा फिड्युसरी के रूप में योग्य होंगे।
- **सहमति प्रबंधक:** डिजिटिल प्लेटफॉर्म **सहमति प्रबंधकों** के माध्यम से भी सहमति एकत्र कर सकता है।
  - एक सहमति प्रबंधक मुख्य रूप से डेटा गोपनीयता और डिजिटिल इंटरैक्शन के लिये **उपयोगकर्त्ता की सहमति के संग्रह, भंडारण और उपयोग का प्रबंधन** करता है।
  - सहमति प्रबंधक **भारत में निगमित कंपनी** होनी चाहिये, जिसकी **वित्तीय और परिचालन क्षमता** सुदृढ़ हो, तथा जिसकी न्यूनतम निवल संपत्ति **दो करोड़ रुपए** हो।
- **DPBI:** मसौदा नियिमों में **DPBI** की स्थापना के लिये रूपरेखा तैयार की गई है, जिसके पास व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन की शिकायतों के लिये **सिविल न्यायालय** की शक्तियाँ होंगी।

नोट: वर्ष 2011 में, न्यायमूर्ति **ए.पी. शाह समिति** ने निजता कानून की सिफारिश की थी, और **वर्ष 2017 में,** न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी **(सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने **निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता** दी थी।

DPDP अधिनियिम, 2023 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **डेटा संरक्षण का अधिकार:** व्यक्तियों को अपने **व्यक्तिगत डेटा को नियंत्रित करने का अधिकार देता है**, जिसमें **पहुँच, सुधार और उद्घर्षण (Erasure)** के अधिकार शामिल हैं।
- **डेटा प्रोसेसिंग और सहमति:** डेटा प्रोसेसिंग के लिये स्पष्ट सहमति प्रपत्रों के साथ **स्पष्ट सहमति** की आवश्यकता होती है।
- **डेटा स्थानीयकरण: सुरक्षा और प्रवर्तन के लिये संवेदनशील डेटा को भारत के भीतर ही संग्रहीत और संसाधित** किया जाना चाहिये।
- **नियामक प्राधिकरण:** अनुपालन और शिकायत निवारण के लिये **DPBI** की स्थापना करता है।
- **डेटा उल्लंघन अधिसूचना:** संगठनों को **डेटा उल्लंघनों** के बारे में व्यक्तियों और **DPBI** को सूचित करना होगा।
- **जुर्माना और दंड:** डेटा सुरक्षा मानकों को लागू करने का **अनुपालन न करने पर सख्त दंड।**

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????

प्रश्न. 'नजिता का अधकिार' भारत के संवधािन के कसि अनुच्छेद के तहत संरक्षति है?

(a) अनुच्छेद 15
(b) अनुच्छेद 19
(c) अनुच्छेद 21
(d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (c)

प्रश्न. नजिता के अधकिार को जीवन एवं व्यक्तगित स्वतंत्रता के अधकिार के अंतर्गत भाग के रूप में संरक्षति कयिा जाता है। भारत के संवधािन में नम्निलखिति में से कसिसे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचति ढंग से अर्थति होता है? (2018)

1. अनुच्छेद 14 एवं संवधािन के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध
2. अनुच्छेद 17 एवं भाग IV में दयि गए राज्य की नीतिके नदिशक तत्त्व
3. अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ
4. अनुच्छेद 24 एवं संवधािन के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध

उत्तर: C

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/draft-digital-personal-data-protection-rules-2025